# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

## प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 26.04.2026

**थाना चांदपुर व थाना बिंदकी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान चेन स्नैचिंग के अभियोग से संबंधित ₹25,000/- का इनामिया एवं हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से एक पीली धातु की चेन, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस, 01 खोखा कारतूस तथा 01 मोटरसाइकिल बरामद।**

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी जाफरगंज के कुशल नेतृत्व में थाना चांदपुर व थाना बिंदकी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के दौरान 01 शातिर अभियुक्त को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 09.04.2026 को थाना चांदपुर पर वादिनी श्रीमती प्रमिला पत्नी रामप्रकाश नि0ग्रा0- मिल कालोनी मीरपुर पुखरांया जनपद कानपुर देहात द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 08.04.2026 को 02 अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से प्रार्थिनी के गले से सोने की जंजीर लॉकेट के साथ जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 50 हजार लगभग छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध मे थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 304(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

**मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण:-** दिनांक 25.04.2026 की शाम को मुकदमा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त धर्मवीर उर्फ राज लोधी उर्फ उगलेश पुत्र राधेश्याम उर्फ राधे नि0 गौसपुर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर हाल पता मीरखपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर से थाना स्थानीय पर पूछताछ की गयी जहां पर पूछताछ के दौरान अभियुक्त धर्मवीर ने दिनांक 08.04.26 को थाना क्षेत्र में घटित झपटमारी की घटना को खुद व अपने साथी ध्रुव उर्फ प्रहलाद पुत्र संजय यादव नि0 कुन्दनपुर थाना बिन्दकी के द्वारा करना स्वीकार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त लाल रिम वाली सफेद रंग की अपाचे मोटर साइकिल व घटना में महिला से छीनी हुई चेन की बरामदगी चलकर कराने को कहा गया तभी पुलिस टीम अभियुक्त के साथ धमना खुर्द रोड पर स्थित एक खंडहरनुमा ट्यूबवेल पर पहुंची जहां पर अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ पहले से लोडेड अवैध तमंचा छिपा रखा था जिससे अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस टीम प्रशिक्षित तरीके से अपने आपको बचाते हुए जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये 01 फायर से अभियुक्त गोली लगने से मौके पर गिर पड़ा, पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अभियुक्त उपरोक्त के पास जाकर देखा गया तो अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त के बायें पैर में गोली लगी है जिसके बायीं तरफ 01 अदद अवैध

तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस पड़ा मिला। मौके पर अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता से छीनी गयी चेन व घटना में प्रयुक्त लाल रिम वाली सफेद अपाचे मोटर साइकिल भी मौके से बरामद की गयी। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु पुलिस टीम द्वारा अस्पताल रवाना किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम व श्रीमान क्षेत्राधिकारी जाफरगंज द्वारा किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर जुर्म धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 61/26 धारा 109(1) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर का अभियोग पंजीकृत किया गया है । प्रकाश में आये अभियुक्त ध्रुव उर्फ प्रहलाद उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश देते हुए सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

**पूछताछ का विवरण-** a. पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह और उसका साथी ध्रुव उपरोक्त दोनों आस-पास के गांव के रहने वाले हैं, पूर्व में दोनों ने कई घटनाएं एक साथ कारित की हैं। दिनांक 08.04.2026 को मैंने व मेरे साथी ध्रुव ने अमौली से जहानाबाद जा रही ई-रिक्शा पर बैठी हुई वृद्ध महिला का अपनी सफेद रंग की अपाचे से पीछा करते हुए हरकुन्डी पुलिया के पास झपट्टा मारकर चेन छीन ली थी। ऐसे ही मैं व मेरा साथी ध्रुव प्लान बनाकर रेकी कर अलग-अलग जनपदों में चोरी, लूट, झपटमारी करते रहते हैं। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्व में कई बार हम लोग साथ में जेल भी जा चुके हैं।

b. घटना कैसे करते हैं- अभियुक्त व इसके सदस्य बाजार व कस्बों से जाने वाले सुनसान एरिया का चुनाव करते हैं तथा एक सुनियोजित तरीके से छिनैती, लूट, टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।

c. घटना के बाद- चूंकि दोनों अभियुक्त आस-पास के गांव के रहने वाले हैं, अतः घटना करने के बाद दोनों अभियुक्त एक दूसरे के घर पर रुक जाते हैं तथा आगे काफी समय के लिये गाड़ी छुपा देते हैं। चोरी-छिनैती में प्राप्त माल को बेचकर प्राप्त धन को आपस में बांट लेते हैं।

## घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. धर्मवीर उर्फ राज लोधी उर्फ उगलेश पुत्र राधेश्याम उर्फ राधे नि0 गौसपुर थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर हाल पता मीरखपुर थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर। (**HS N. 415B बिंदकी**)

## बरामदगी का विवरण-

1. एक पीली धातु की चेन
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर
3. 01 जिंदा कारतूस
4. 01 खोखा कारतूस
5. एक मोटरसाइकिल

**अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त थाना बिंदकी का हिस्ट्रीशीटर (HS N. 415B बिंदकी) है।**

## अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

### 1. घायल अभियुक्त धरमवीर उर्फ राज लोधी उर्फ उगलेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 368/2020 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना बिन्दकी।
2. मु0अ0सं0 241/2021 धारा 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना बिन्दकी।
3. मु0अ0सं0 242/2021 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 थाना बिन्दकी।
4. मु0अ0सं0 439/2022 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना बिन्दकी।
5. मु0अ0सं0 487/2022 धारा 332, 353, 504, 506 भादवि थाना बिन्दकी।
6. मु0अ0सं0 134/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बिन्दकी।
7. मु0अ0सं0 114/2025 धारा 115(2), 126(2), 191(2), 352 बीएनएस थाना बिन्दकी।
8. मु0अ0सं0 20/2026 धारा 115(2), 191(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना बिन्दकी।

9. मु0अ0सं0 418/2020 धारा 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना बिन्दकी।
10. मु0अ0सं0 425/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 थाना बिन्दकी।
11. मु0अ0सं0 170/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना बिन्दकी।
12. मु0अ0सं0 171/2023 धारा 411, 413 भादवि थाना बिन्दकी।
13. मु0अ0सं0 384/2025 धारा 110, 115(2), 117(2), 191(2), 333, 351(3), 352 बीएनएस व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना बिन्दकी।
14. मु0अ0सं0 122/2019 धारा 41 सीआरपीसी व 411, 413, 419, 420 भादवि थाना धाता।
15. मु0अ0सं0 51/2025 धारा 115(2), 191(2), 191(3), 324(4), 333, 351(2), 352 बीएनएस थाना कल्याणपुर।
16. मु0अ0सं0 315/2019 धारा 41 सीआरपीसी व 411, 413, 414 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा।
17. मु0अ0सं0 172/2025 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
18. मु0अ0सं0 173/2025 धारा 109(1), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस व 3/25, 27 आयुध अधिनियम, 1959 थाना बर्रा, जनपद कानपुर नगर।
19. मु0अ0सं0 873/2019 धारा 379, 411 भादवि थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर।
20. मु0अ0सं0 899/2023 धारा 120-B, 392, 411, 413, 414 भादवि थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर।
21. मु0अ0सं0 215/2023 धारा 392, 411 भादवि थाना किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर।
22. मु0अ0सं0 947/2020 धारा 379, 411 भादवि थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर।
23. मु0अ0सं0 256/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना साढ़, जनपद कानपुर नगर।
24. मु0अ0सं0 300/2023 धारा 120-B, 392, 411, 413, 414 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम, 1959, थाना हनुमंत बिहार, जनपद कानपुर नगर।

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

**टीम-1. थाना चांदपुर पुलिस टीम**

1. श्री विनोद थानाध्यक्ष थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर मय पुलिस टीम

**टीम-2. थाना बिंदकी पुलिस टीम**

1. व0उ0नि0 श्री वृन्दावन राय थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर मय पुलिस टीम

उत्तर प्रदेश पुलिस